

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र जालीपा

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल जाति ओसवाल	1 सरूपसिंह पुत्र अचतकंवर	कंवराजसिंह, 2 पुत्र कंवराजसिंह 3
2 ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल जाति ओसवाल निवासी बाड़मेर शहर	सुरेन्द्रसिंह पुत्र सुरतानसिंह	छैलसिंह 4 छुगसिंह पुत्र
हाल नई मुम्बई महाराष्ट्र	5 पृथ्वीसिंहपुत्र	सुरतानसिंह
	6 चतरसिंह पुत्र निवासी	प्रेमसिंह जाति राजपूत
	जालीपा	7 खरथाराम पुत्र
	उदाराम	8 बाबुलाल पुत्र तुलसाराम जाति
	जाट निवासी जालीपा	9 तहसीलदार
	बाड़मेर	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत् राजस्व आवेदन संख्या-204/2021 दिनांक-28.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जालीपा पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 337/169 रकबा 05.09 बीघा, खसरा नंबर 338/169 रकबा 05.08 खसरा नंबर 337/169 रकबा 05.09, खसरा नंबर 338/169 रकबा 05.08 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

दिनांक- 28/10/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6109-6112
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एव पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करे।
2. पटवारी जालीपा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल वगैराह जाति ओसवाल निवासी बाड़मेर शहर हाल नई मुम्बई महाराष्ट्र
4. विप्रार्थीगण सरूपसिंह पुत्र कंवराजसिंह वगैराह जाति राजपूत/जाट निवासी जालीपा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर